

कार्यालय मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग राजस्थान जयपुर ।

क्रमांक एफ.3(19)मंत्रा0/मुअजस/स्था-3/ 4139

दिनांक 27/7/18

संशोधन आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ.3(19)मंत्रा0/मुअजस/स्था-3/3223-34 दिनांक 08.06.2018 द्वारा जारी क्रम संख्या 1 व 2 पर अंकित श्री ओमप्रकाश,वाहन चालक एवं श्री गोपाल राम सहायक कर्मचारी के "स्थानान्तरण स्वयं के प्रार्थना-पत्र के आधार पर किया गया है, के स्थान पर "राज्यहित में" का संशोधन पढा जावे। उक्त कर्मचारियों को स्थानान्तरण पर नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,




अधीक्षण अभियंता (प्रशासन)
कार्यालय मुख्य अभियंता जल संसाधन
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक एफ.3(19)मंत्रा0/मुअजस/स्था-3/ 4140-48

दिनांक 27/7/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव माननीय जल संसाधन मंत्री महोदय राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन उत्तर, हनुमानगढ़।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, उदयपुर/जैसलमेर।
5. निजी सचिव, मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. अधीक्षण अभियन्ता.....।
7. अधिशाषी अभियन्ता.....।
8. श्री..... मार्फत.....।
9. रक्षापत्रावली।



अधीक्षण अभियंता (प्रशासन)